न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या : 71/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

भूरीसिंह पुत्र विजयसिंह कौम जाट ग्राम दौलतगढ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1. बाबूलाल
2. द्वारिका
3. पप्पू

पुत्रान भगवानसिंह

4. गोविन्द
5. हरिओम
6. पिन्टू

पुत्रान भीमकमसिंह

जाति जाट निवासी दौलतगढ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 12.6.2017 नामान्तरकरण संख्या 1112 वाकै ग्राम दौलतगढ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री गम्मनसिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील रैस्पोडेन्ट

दिनांक : 01.02.2018

निर्णय

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार रूपवास की आज्ञा दिनांक 12.6.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत तहसीलदार रूपवास द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा पारित विभाजन आदेश आपसी सहमती राजस्व लोक अदालत क्रमांक 3 दिनांक 12.6.2017 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। प्रकरण के तथ्य यह कि जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 में कुल किता 11 रकबा 26 बीघा 2 विस्बा वाकै ग्राम दौलतगढ तह0 रूपवास में स्थित है। इसके अपीलान्ट व रैस्पोडेन्टगण बराबर हिस्सा खातेदार दर्ज है। उक्त जमाबन्दी के अनुसार तहत अदालत को अपीलान्ट को 13 बीघा 1 विस्बा एवं रैस्पोडेन्टगण को 13 बीघा 1 विस्बा का बराबर –बराबर खातेदार घोषित करना चाहिऐ था किन्तु तहत अदालत ने ऐसा न करके गलत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश पारित कर दिया जिसमें अपीलान्ट को 10 बीघा 1 विस्बा और रैस्पोडेन्टगण को 16 बीघा 1 विस्बा का खातेदार घोषित किया है जो कतई गलत है जो न्याय के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। इसी तथ्यों से विपरीत विभाजन आदेश दिनांक 12.6.2017 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरणकरण 1112 स्वीकृत हुआ है जो काबिले मंसूखी है। इसके अलावा एक–पक्षीय त्रुटीपूर्ण विभाजन आदेश दिनांक 12.6.2017 की अपील भी सक्षम न्यायालय में की हुई है। तहत अदालत ने आदेश दिनांक 12.6.2017 पारित करते वक्त अपीलान्ट की कोई सहमति नहीं ली न ही कोई बयानादि लिये गये बिना अपीलान्ट की रजामन्दी तहत अदालत ने रैस्पोडेन्ट के हक में 3 बीघा आराजी ज्यादा दे दी है जो अपीलान्ट के हक हकूको पर कुठाराघात है। उक्त तमाम एकपक्षीय कार्यवाही चूंकि अपीलान्ट के खिलाफ अपीलान्ट को बिना सूचित किये बिना पूछताछ के मनमर्जी से की गई है इसलिऐ इसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं हुई। अपीलान्ट को इसके जानकारी रैस्पोडेन्टस के द्वारा ही दिनांक 10.9.2017 को धमकी दिये जाने पर हुई। तत्काल कार्यवाही करते हुये नकल प्राप्त की गई तदोपरान्त अपील की कार्यवाही की गई है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। जिसके लिये पृथक से दफा –5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत करने में की गई देरी को माफ करते हुये अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जावे। अन्त में प्रार्थना की है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 12.6.2017 निरस्त की जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। तहत अदालत में अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमानुसार आपसी सहमति से दोनो पक्षकारों को सुन कर हुये विभाजन क्रमांक 3 दिनांक 12.6.2017 के परिपेक्ष्य में खोला गया है। जिस विभाजन आदेश दिनांक 12.6.2017 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है उस विभाजन के विरूद्ध स्वयं अपीलान्ट ने पृथक से सक्षम में अपील दायर की हुई है जैसा कि अपील मीमो के बिन्दु संख्या 6 की अन्तिम पैरा से जाहिर है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन नामान्तरकरण की अपील में विभाजन के गुणावगुण को नहीं देखना है। उनका यह भी तर्क है कि तहत अदालत द्वारा जब दोनो पक्षों को सुनकर कार्यवाही की गई है तो उसकी अपील न्यायालय श्रीमान को न होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त को होनी चाहिऐ थी। इसके अलावा जब तक विभाजन आदेश दिनांक 12.6.2017 कायम है तब तक उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण भी यथावत रखा जाना विधिसम्मत रहता है। नामान्तरकरण की अपील में पूर्व में किये गये नियमानुसार विभाजन आदेश को निरस्त नहीं कराया जा सकता। इसके अलावा अपील प्रस्तुतीकरण में हुई बिना कोई ठोस आधार के असाधारण देरी के कारण भी अपील मियाद बाहर ही है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण बहाल रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर. डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
" Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम नम्बर 14–16 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा राजस्व लोक अदालत के तहत विभाजन आदेश कमांक 3 दिनांक 12.6.2017 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। इस प्रकरण में अपीलान्ट यह कहते हुये अपील में आये है कि उक्त विभाजन फर्जी एवं कूटरचित बिना सहमति के है। इसलिऐ उसके आधार पर स्वीकृत किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध वहालत मौजूदा रिकार्ड के आधार पर हम वकील अपीलान्ट के कथनों से इत्तेफाक नहीं रखते है क्यों संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 53 आरटीएक्ट 1956 विभाजन आदेश की प्रमाणित छाया प्रति पर स्वयं अपीलान्ट भूरीसिंह के हस्ताक्षर मौजूद है । दौराने विभाजन आदेश यह नहीं माना जा सकता कि उनको सुना नहीं गया । फिर भी धारा 53 आरटीएक्ट के प्रावधानों में यह उल्लेख है कि तहसीलदार वक्त विभाजन सभी सहखातेदारान के हितों को ध्यान में रखते हुये विभाजन कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि कोई पक्षकार विभाजन से असंतुष्ठ रहता है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतन्त्र है। इस प्रकरण में विभाजन आदेश को निरस्त कराये बिना उसके आधार पर स्वीकृत हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण को चुनौती दिया जाना उचित नहीं रहता है। लिहाजा विभाजन आदेश दिनांक 12.6.2017 के आस्तित्व में रहते हुये अपील संधारण योग्य नहीं रहती है। यदि अपीलान्ट को विभाजन आदेश से कोई गुरैज है तो उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। विभाजन आदेश के कायम रहते उसके आधार पर स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1112 दिनांक 12. 6.2017 में हम कोई विधिक त्रुटी नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार रूपवास द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 1112 दिनांक 12.6.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1.2.2018 को सुनाया गया।

(ओ0 पी0 जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official